प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्र.सं. 10/2020 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 भू राजस्व अधिनियम
परमेश्वरी देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
सीसीएमएस : 2020/00039

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
06.01.2022	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. 71 आरबी में पेश हुई। शिविर में रिपोर्ट उप तहसीलदार गजसिंहपुर दिनांक 06.01.2022 प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने निवेदन किया कि वादीया के पति 17 आरबी के खाता सं. 94 मु.नं. 36 में 6.325है. बारानी कृषि भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज हैं। वादीया के पति का देहान्त हो चुका हैं। उक्त भूमि में वादीया के नाम 0.421है. भूमि का विरासतन इंन्तकाल हो चुका हैं। जिसमें वादीया का नाम सहवन से भागोदेवी पत्नी जेठाराम दर्ज हो चुका हैं क्योंकि वादीया का पीहर पक्ष में भागोदेवी नाम था, वास्तव में वादीया का नाम परमेश्वरी देवी पत्नी जेठाराम हैं। अन्य दस्तावेजों में नाम परमेश्वरी देवी हैं। वादीया के नाम 0.421है. भूमि के विरासतन इंतकाल में वादीया का नाम भागोदेवी संशोधन कर परमेश्वरी देवी जमाबंदी में लिखे जाने का आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट उप तहसीलदार का अवलोकन किया। उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही प्रेषित किया गया हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जमाबंदी चक 17 आरबी खाता सं. 94 में भागीदेवी पत्नी जेठाराम कौम मेघवाल 421/6325 हिस्सा मुश्तरका खाते में रिकार्ड दर्ज हैं। उक्त रकबा भागीदेवी के नाम इं.नं. 135 के अनुसार जेठाराम के विरासत में प्राप्त हुई थी। इंतकाल सं. 135 में प्रार्थी का नाम भागीदेवी पत्नी जेठाराम कौम मेघवाल दर्ज हैं। रिपोर्ट के साथ इंतकाल की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रार्थीया का नाम भागो देवी बेवा जेठाराम दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर इंतकाल में नाम संशोधन कर जमाबंदी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया हैं। परन्तु पत्रावली पर नाम संशोधित किये जाने का कोई आधार नहीं हैं। यदि वादीया को इंतकाल में दुरूस्ती करवानी हैं तो उन्हें इसकी अपील करनी चाहिए थी। जिसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार [illegible] वादीया खारिज किया जाता हैं। इसी आशय की पत्रा [illegible] डिक्री जारी [illegible] निर्णय मेरे द्वारा [illegible] दिनांक 06.01.[illegible] को लिखाया जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल [illegible]र हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प – 71 आरबी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested